

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Appeal/LR/295/2006/Jhalawar

Babu Khan son of Ide Khan Mewati Musalman resident of Rajpura Tehsil Khanpur Distt. Jhalawar.

...Appellant.

Versus

1. State of Rajasthan through Tehsildar, Khanpur.
2. Government Upper Primary School, Rajpura through Headmaster, Government Upper Primary School, Rajpura Tehsil Khanpur Distt. Jhalawar.

...Respondents.

S.B.

Shri Ravi Dangi, Member

Present:-

Shri Ishwar Deora, counsel for the appellant.

Shri Rajendra Prasad Meena, Dy. Govt. Advocate for respondent No.1.

Smt. Rekha Goyal, counsel for the respondent No.2.

Date:03.01.2023

J U D G M E N T

This second appeal has been filed under section 76 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 against the judgment of the Settlement Officer cum Revenue Appellate Authority, Kota dated 29.10.2005 in appeal No. 99/05 in which the validity of the order of the Sub-Divisional Officer dated 18.05.2005 and amended order dated 26.05.2005 was assailed by which the learned Sub-Divisional Officer allotted the land to the Govt. Upper Primary School.

2. Heard the learned counsels.

3. The counsel for the appellant reiterated the facts mentioned in the memo of appeal and argued that he has been in possession over khasra No. 15's 30X15 area since last 35 years. He was not given hearing prior to allotment. The disputed land needed to be regularized being occupied land. Thus, prayed to allow the appeal.

4. ***Per Contra***, the counsel for the state, argued that the allotment was just and proper and as per the law.

5. The counsel for the respondent No. 2 argued that the allotment made in their favour was made as per the rules. The appellant is trespasser to whom no right accrues. The land in question was siwai chak land and was rightly allotted to the school following the due process of law. The appeal deserves to be rejected.

6. Heard the learned counsels and perused the material available on record.

7. To begin with the operative part of the judgment of the Settlement Officer cum Revenue Appellate Authority, Kota dated 29.10.2005 reads as follows:-

“ अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट नं. 2 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने, उस पर चिन्तन एवं मनन करने तथा परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचाराधीन अपील उपखण्ड अधिकारी खानपुर कैम्प बोरदामऊ जिला झालावाड़ के आदेश दिनांक 18-5-2005 तथा संशोधित आदेश दिनांक 26-5-2005 के पेश की गई है। उक्त आदेश द्वारा परीक्षण न्यायालय ने ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नं. 15 रकबा 9 बिस्वा भूमि में से रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम राजपुरा के राजकीय भवन के निर्माण हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति दी गई थी। इसी प्रकार आदेश दिनांक 26-5-2005 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा “प्रशासन आपके द्वार अभियान” में राजस्व शिविर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजपुरा को राजकीय भवन निर्माण हेतु खसरा नम्बर 14 की 1 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं. 15 की 9 बिस्वा भूमि कुल 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि, जो कि पूर्व में आवंटित की गई थी, में से खसरा नम्बर 15 की 6 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन आबादी से पुनः सिवायचक में दर्ज होने से खसरा नं. 15 की 9 बिस्वा के स्थान पर 15 बिस्वा दर्ज करने की स्वीकृति दी है तथा राजकीय विद्यालय के पक्ष में पुनः संशोधित आदेश दिनांक 26-5-2005 द्वारा दिया जाकर खसरा नं. 14 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं. 15 की 15 बिस्वा कुल 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजपुरा को राजकीय भवन निर्माण हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति दी गई है। जहां तक रेस्पोंडेन्ट नं. 2 को उक्त भूमि आवंटित किये जाने की विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में सलग्न प्रधानाध्यापक राजकीय विद्यालय, राजपुरा द्वारा शिविर प्रभारी कैम्प मऊबोरदा को सम्बोधित पत्र दिनांक 18-5-2005 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राजकीय विद्यालय राजपुरा के चालू सत्र में कमोन्नत हो जाने के कारण विद्यालय हेतु भूमि एवं भवन कम पड़ने के कारण और भूमि आवंटन कराना चाहा गया है। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी खानपुर द्वारा सम्बंधित तहसीलदार, खानपुर की विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं अनुशंसा के बाद विवादित भूमि खसरा नं. 14 एवं 15 कित्ता 2 कुल रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि को जनहित में राजकीय विद्यालय को आवंटित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं पाते हैं, क्योंकि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा राजकीय भूमि पर किसी भी व्यक्ति को बिना

अधिकार के काश्त करने अथवा मकान बनाने की अनुमति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। रेस्पोंडेन्ट नं. 2 जो कि राजकीय विद्यालय है, को राजस्व अभियान में मजमे आम में भूमि का आवंटन किया गया है। यदि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर 35 वर्षों से कब्जा काश्त था तो उन्हें राजस्व शिविर में सक्षम अधिकारियों के समक्ष इस तथ्य को रखा जाना चाहिए था। विवादित भूमि के सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के बिना एक प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा का तथा ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण पेश किया है, जो कि विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पेश किया है, जिस पर गौर किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के एक प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट ने एक फोटोग्राफ पेश किया है, जिसमें कि अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट का अर्द्धनिर्मित मकान बताया गया है, लेकिन उक्त फोटोग्राफ से न तो यह स्पष्ट है कि यह विवादित भूमि का ही फोटोग्राफ है तथा न ही इस फोटोग्राफ के मुताबिक अपीलान्ट का कोई मकान ही विवादित भूमि पर बना हुआ है। इस फोटोग्राफ के अनुसार एक राजकीय भवन जो कि संभवतया राजकीय विद्यालय, राजपुरा है, के पास कुछ बिल्डिंग मेटेरियल अवश्य पड़ा हुआ है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि यही अपीलान्ट्स का मकान बना हुआ है तथा अपीलान्ट उसमें परिवार सहित निवास कर रहे हैं और उन्हें बेदखल किया जा रहा है। दूसरी ओर न्यायालय हाजा द्वारा ही पारित निर्णय दिनांक 18-6-1997 के अनुसार उक्त विद्यालय को किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश हुआ है, जिमें न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक शाला भवन में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए किये गये भूमि आवंटन को उचित माना है तथा सम्बन्धित अपीलान्ट को विवादित भू-खण्ड के बदले में अन्यत्र कृषि भूमि आवंटित हो जाने का तथ्य अंकित किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि आबादी भूमि नहीं है, जिस पर कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को पट्टा आदि दिया जा सकता हो, मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित भूमि सिवाय चक भूमि है, जिसे कि सक्षम अधिकारी द्वारा जनहित में राजकीय विद्यालय को आवंटित किया गया है तथा अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर अपना हक एवं अधिकार सिद्ध नहीं कर सके हैं। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय रिकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित होने के कारण हम उक्त निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ”

The khasra No. 14 area 1.08 bigha and khasra No. 15 area 0.15 biswa being siwai chak land were ordered to be allotted to Government Upper Primary School, Rajpura for construction of government building in public interest. On such land no person had right to construct any house and if any one does so, he comes within the category of a trespasser. No any objection was raised by the appellant when the allotment was made in Rajasv Abhiyan in 'majme-am'. The application and application under Order 41 Rule 27 of the Civil Procedure Code was correctly dealt with by the learned first appellate court. The land in dispute as per the revenue record was siwai chak land and which was rightly allotted in public interest to the Govt.

School and the appellant was not able to prove his right and title over the land.

In my humble opinion the impugned judgment has no illegality or infirmity.

Thus, this appeal deserves to be and is hereby rejected.

All application(s), if any, pending, also disposed of accordingly.

Pronounce in open court.

(Ravi Dangi)
Member